

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3258

दिनांक 24/03/2021/03 चैत्र, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए पेंशन योजना

3258. श्री प्रताप सिंह बाजवा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) को पेंशन के लाभ दिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनको उपलब्ध पेंशन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्रीय सशस्त्र बल के कार्मिकों को नई पेंशन योजना में उनके द्वारा किए गए अंशदान में से किसी भी समय, कितनी भी राशि निकालने की अनुमति है;

(घ) क्या सशस्त्र पुलिस बल के कार्मिकों पर नई पेंशन योजना में उनके द्वारा किए गए अंशदान में से किसी भी समय, कितनी भी राशि निकालने संबंधी सीमाएं/शर्तें हैं;

(ङ) क्या नई पेंशन योजना में उनके द्वारा अपने अंशदान में से किसी भी समय, कितनी भी राशि निकालने पर कोई प्रभार लगाया जाता है; और

(च) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कार्मिकों को नई पेंशन योजना के नियमों और विनियमों से परिचित करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): सैन्य बलों को छोड़कर, दिनांक 01.01.2004 से केंद्रीय सरकार सेवा में सभी नए प्रवेश करने वाले नई पुनर्संचित परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली (आमतौर पर नई पेंशन स्कीम के रूप में ज्ञात) के अंतर्गत कवर हैं, जिससे पूर्ववर्ती परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली को प्रतिस्थापित किया गया है। उपर्युक्त तारीख से पहले भर्ती होने वाले कार्मिकों को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत पेंशन योजना द्वारा शासित किया जाता रहेगा।

तदन्तर, भारत सरकार ने नई पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को अनंतिम आधार पर पुरानी पेंशन योजना के तहत लागू कतिपय लाभ प्रदान करने के लिए आदेश जारी किए हैं। इन लाभों में अन्य बातों के साथ-साथ निशक्तता पेंशन, सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी, सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में पारिवारिक पेंशन, बीमारी/चोट के कारण कर्तव्य के निर्वहन के दौरान विकलांगता के लिए पेंशन, सरकारी इयूटी करते हुए मृत्यु की दशा में असाधारण पेंशन आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ): पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, यदि अंशदाता द्वारा पात्रता के निम्नलिखित मानदंड और लाभ प्राप्त करने की सीमा का अनुपालन किया जाता है, तो उसे निकासी की अनुमति प्रदान की जाएगी:-

- i. अंशदाता अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रहा हो;
- ii. अंशदाता को उतनी संचित राशि निकालने की अनुमति होगी, जो उसके द्वारा किए गए अंशदान के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो और निकासी हेतु आवेदन की तारीख को उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते में उसके नाम जमा हो।

अंशदाता को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अंशदान की सम्पूर्ण समयावधि के दौरान अधिकतम तीन बार ही निकासी करने की अनुमति है।

(ड): वर्तमान में, सरकारी क्षेत्र के अंशदाताओं की हैंडलिंग के लिए केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी के रूप में कार्य करने वाले "एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड" को आंशिक-निकासी अथवा त्यागपत्र/सेवानिवृत्ति पर निकासी की सेवाएं प्रदान करने के लिए अंशदाता के एनपीएस खाते में से 3.75 रु. का लेनदेन प्रभार एकत्र करने का अधिकार है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए इन प्रभारों को वहन करती है।

(च): गृह मंत्रालय के साथ गहन समन्वय स्थापित करते हुए पीएफआरडीए ने विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित किए हैं और उनमें सीएपीएफ के अधिकारियों ने भाग लिया है। उक्त सत्रों के दौरान, प्रतिभागियों को एनपीएस के अंतर्गत विभिन्न नियमों और विनियमनों के संबंध में परामर्श दिया जाता है।

\*\*\*\*\*

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**RAJYA SABHA  
UNSTARRED QUESTION NO. 3258**

**TO BE ANSWERED ON THE 24<sup>TH</sup> MARCH, 2021/ CHAITRA 3, 1943 (SAKA)**

**PENSION SCHEME FOR CENTRAL ARMED POLICE FORCES**

**3258 SHRI PARTAP SINGH BAJWA:**

**Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:**

- (a) whether Central Armed Police Forces (CAPF) are being provided pension benefits;**
- (b) if so, the details of pension schemes available to them;**
- (c) whether central armed forces personnel are allowed to withdraw any amount from their contributions towards the NPS at any time;**
- (d) whether there are any limitations/stipulations on CAPF personnel withdrawing any amount from their contributions towards the National Pension Scheme at any time;**
- (e) whether there are any charges levied on withdrawing any amount from their contributions from the NPS at any time; and**
- (f) the steps Government has taken to familiarise CAPF personnel with rules and regulations of the NPS?**

**ANSWER**

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
(SHRI NITYANAND RAI)**

**(a) & (b): All new entrants who joined the Central Government service with effect from 01.01.2004 except the Armed Forces, are covered under the new restructured Defined Contribution Pension System (commonly known as New Pension Scheme) which replaced the previous system of**

**Defined Benefit Pension System. The personnel who joined prior to the aforesaid date continue to be governed by the pension scheme under the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.**

**Subsequently, the Government of India has issued orders extending certain benefits as applicable under the old pension scheme to the Central Government Servants covered under new pension scheme on provisional basis. These benefits, *inter alia*, include invalid pension, retirement gratuity, family pension in case of death in service, disability pension in case of discharge from duty due to disease/injury, extra-ordinary pension in case of death in service attributed to Government duty, etc.**

**(c) & (d): As per circular issued by the Pension Fund Regulatory & Development Authority (PFRDA),the withdrawal shall be allowed if the following eligibility criteria and limit for availing the benefits are complied with by the subscriber:-**

- i. the subscriber shall have been in the National Pension System at least for a period of three years from the date of his or her joining;**
- ii. the subscriber shall be permitted to withdraw accumulations not exceeding twenty-five per cent of the contributions made and standing to his or her credit in individual pension account, as on the date of application for withdrawal.**

**The subscriber shall be allowed to withdraw only a maximum of three times during the entire tenure of subscription under the National Pension System.**

**(e): Presently, the NSDL e-Governance Infrastructure Limited, acting as Central Recordkeeping Agency for handling Government sector subscribers is entitled to collect transaction charges of Rs.3.75 out of the NPS account of the subscriber, for providing services of partial-withdrawal or withdrawal upon resignation/superannuation. The charges are borne by the Central Government for its employees.**

**(f): PFRDA in close coordination with the Ministry of Home Affairs has conducted workshops/seminars at various locations and the same have been attended by the officials of the CAPFs. During the said sessions, the participants are advised in respect of various rules and regulations under NPS.**

\*\*\*\*\*